



**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय
निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़**

Phone/Fax No. 07782-225073, E Mail ID - ccfwljdp@gmail.com, ccfwljdp@rediffmail.com

क्रमांक / व.जी. / त.अधि. / २०६१
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक: ०३/०९.२०२३

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध),
अरण्य भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- **Diversion of Forest land for non-forest purpose under FCA, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park- Jagdalpur be provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this Project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, Area 1.005 ha. reg.**

- संदर्भ:-** 1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छोगो का पत्र क्र./एफ 5-28/2023/10-2, दिनांक 17.08.2023
2. निदेशक कां.रा.उ.जगदलपुर का पत्र क्रमांक /2823 दिनांक 20.09.2023

—00000—

विषयातंगत निवेदन है कि, सदर्भित पत्र क्रमांक 01 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर अंतर्गत भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फॉयबर केबल स्थापना हेतु 1.005 हेक्टेएक्ट में ऑप्टिकल फॉयबर बिछाने हेतु उठाये गये आपत्तियों का निराकरण कर निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-02 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः जानकारी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


 मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
 क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
\ जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़



क्रमांक / व.प्रा. / त.अधि. / २०६२
प्रतिलिपि:-

जगदलपुर, दिनांक: ०३/०९.२०२३

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर, नवा रायपुर ४०८० को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर ४०८० को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी(चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।।

४
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Phone/Fax No. 07782-228640, E Mail ID – kvnp.2007@rediffmail.com

क्रमांक/व.प्रा./त.अधि./ २८२३
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक: २०/०९/२०२३

मुख्य वन संरक्षक (व.जी.) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर।

- विषय:-** Diversion of Forest land for non-forest purpose under FCA, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National Park, Jagdalpur be Provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this Project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM the laying of Optical Fibre cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, Area 1.005 ha.reg.
- संदर्भ:-** अवर सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन का क्रमांक / एफ ५-२८/२०२३/१०-२ नवा रायपुर, दिनांक १७/०८/२०२३।

-००-


विषयांकित प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जो त्रुटियाँ पाई गयी हैं, उनका निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 51 में व्यवस्थित Part-III के बिन्दु क्रमांक-7 तथा 8 की जानकारी/दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये हैं। इसी तरह पृष्ठ क्रमांक 52 के बिन्दु क्रमांक 13 में Nil लिखा है जबकि Yes/No में अंकित किया जाना था यही बिन्दु क्रमांक 14, 15 तथा 16 में Not Applicable लिखा है जबकि इसमें विस्तृत उत्तर प्रदाय किया जाना है।	यह बिंदु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30 एवं 31 से सम्बंधित है। Part-III में उठाये गये सभी बिन्दुओं का जानकारी तैयार कर संलग्न है।
2.	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21. 06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Valley National Park के 1.005 है, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इसका विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 है. वनक्षेत्र में aOFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Valley National Park के 1.005 है, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 है. वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है, उस वनक्षेत्र में ही आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।

3.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नईदिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6&175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र के OFC प्रकरणों को राज्य शासन से अनुमति दिये जाने का प्रावधान है इसके शर्त क्रमांक-7 में निम्न प्रावधान है :—“The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way.” उक्त NOC प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।</p>	<p>संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी के से NOC संलग्न है।</p>
4.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नईदिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्रमांक 9 में निम्न निर्देश है:— “The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the pas after taking into account all the factors/issues involved in the work; यह स्पष्ट करें कि State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु क्या समय—सीमा निर्धारित की गई है।</p>	<p>State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।</p>
5.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नईदिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के अन्य शर्तों पर आवेदक का वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।</p>	<p>वचन पत्र संलग्न है। संस्थान द्वारा दी गयी जानकारी संलग्न है।</p>

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार



निदेशक
कांगड़ेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर, छत्तीसगढ़



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 120/ मुकाइ / चिप्स / 2023

रायपुर, दिनांक ०१/०९/२०२३

प्रति,

निदेशक,

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

जगदलपुर, जिला - बस्तर (छत्तीसगढ़)

विषय : Diversion of forest land for non & forest purpose under FCA 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Valley National Park Jagdalpur "Bharat Net project which is a GOI initiative- Under this project, connectivity will be provided at 51987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 Km- The laying of Optical Fiber cable of 32,466 Km- will involve 26 districts across the State, Area 8.965 ha. reg.

संदर्भ : अवर सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन का क्रमांक एफ 5-28/2023/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2023।

-00-

विषयांकित प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जो त्रुटियाँ पाई गयी है उनका निराकरण निम्नानुसार है :-


क्र.	पाई गयी त्रुटियाँ	निराकरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 51 में व्यवस्थित Part.III के बिन्दु क्रमांक-7 तथा 8 की जानकारी/दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये है। इसी तरह पृष्ठ क्रमांक 52 के बिन्दु क्रमांक 13 में Nil लिखा है जबकि Yes/No में अंकित किया जाना था यही बिन्दु क्रमांक 14, 15 तथा 16 में Not Applicable लिखा है जबकि इसमें विस्तृत उत्तर प्रदाय किया जाना है।	यह बिंदु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30 एवं 31 से सम्बंधित है। यह बिंदु मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रवती टाइगर रिजर्व जगदलपुर से सम्बंधित है अतः इस बिंदु का निराकरण कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रवती टाइगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा किया जावेगा।

2.	<p>राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Valley National Park के 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इसका विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।</p>	<p>राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2021 में प्रदायित अनुशंसा अनुसार Kanger Valley National Park के 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जिस 1.005 हे, वनक्षेत्र में OFC बिछाने की अनुशंसा की गई है उस वनक्षेत्र में ही आवेदित वनक्षेत्र सम्मिलित है।</p>
3.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6&175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र के OFC प्रकरणों को राज्य शासन से अनुमति दिये जाने का प्रावधान है इसके शर्त क्रमांक-7 में निम्न प्रावधान है :— “The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way.” उक्त NOC प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।</p>	NOC संलग्न है।
4.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग) नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्रमांक 9 में निम्न निर्देश हैः— “The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the pas after taking into account all the factors/issues involves in the work; यह स्पष्ट करें कि State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है।</p>	State Board for Wildlife द्वारा विषयांकित कार्य हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
5.	<p>भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी प्रभाग), नई दिल्ली के उक्त दिशा निर्देश दिनांक 19.02.2018 के अन्य शर्तों पर आवेदक का वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।</p>	वचन पत्र संलग्न है।

प्रकरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पाई गयी नुटियाँ का निराकरण आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

[Signature]
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़




क्रमांक 1201/मुकाम/चिप्स/20223

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, चिप्स की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) अरण्य भवन की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती — सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 01/10/2023

[Signature]
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



PART – III

(To be completed by the office-in-charge of the National park/ Sanctuary completed and submit to the Chief Wild Life Warden or authorized by him in this behalf within 30 days of receipt of PART-II)

1. Date of receipt of the part -II - 15/12/2021
2. Total area (ha) of National park/ - 20000 Ha.
Sanctuary.
3. Total area (ha.) diverted from the NP/WLS - 1.005 Ha.
so far for development purposes
4. List the past Project and the area (ha.) - Nil
diverted Name of Project/s Year of diversion
5. Positive impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above
Name of Project
Positive impact
Scientific basis of assessment - BharatNet Project Phase-II in State of Chhattisgarh. CHiPS Laying OFC under GOI initiative BharatNet Project Phase-II in State of Chhattisgarh. The OFC Laying within Kanger Valley National Park, Jagdalpur, District - Bastar (C.G.) to Connect Gram Panchayat with their Block Head Quarter to improved service delivery (online e-gram panchayat services, e-governance, e-education, e-health, e-medicine, e-grievances, e-agriculture, e-citizen, etc.
6. Negative impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above
Name of Project
Positive impact
Scientific basis of assessment - Nil
7. Management plan period Attach copy of the Management plan/management scheme / recommendation of Chief Wild life Warden - The existing Management plan of Kanger Vaiyey National Park- Jagdalpur is 2020-21 to 2030-31 Copy of Management plan is attached
8. List Management action taken/ proposed to be taken in the whole block/Zone in Which the proposed area is located. - No Specific action is mentioned in the Management plan with respect to the diverted area.
9. Type of Forest in which the proposed area falls. - Reserve Forest

Sr. No.	Forest Type	Forest Range	Forest Block	Comp. No.	Length (M.)	Width (M.)	Area (Ha.)
1.	Reserve Forest	Kotansar (NP)	Kamanar	89	4874.707	0.5	0.243
2.		Kotansar (NP)	Kamanar	90	7001.310	0.5	0.350
3.		Kotansar (NP)	Matharkonta	91	71.915	0.5	0.004
4.		Kotansar (NP)	Matharkonta	163	2639.917	0.5	0.132
5.		Kotansar (NP)	Tirathgarh	164	2637.126	0.5	0.132

6.		Kotansar (NP)	Tirathgarh	165	2875.401	0.5	0.144
		Total		6	20100.376	0.5	1.005

10. Location of the proposed area w.r.t. the critical/ - Map attached
11. List of Likely POSITIVE AND NEGATIVE : - DGPS Survey Report Enclosed impact/s of the proposed project giving scientific and technical justification for each impact
12. Provide COMPREHNSIVE details of the proposal in terms of section 35(6) of the wild life (Protection) Act. 1972 as the case may be. - N.A.
13. Whether the project authorities have ever committed violation of the wildlife (Protection) Act. 1972 Of Forest conservation Act. 1980 if yes provide the EHAUSTIVE details of the offence and the present status of the case. - No violation of WPA,1972 and FCA,1980
14. Have you examined the project Appraisal document and the alternatives as provided in PART-II - information attached
15. Have you examined to bio diversity impact Assessment Report. - N.A.
16. If yes, please give your comments on the recommendations given in the Report. - N.A.
17. Dates and durations of your field visits to the proposed site. -
18. Do you agree that the present proposal of diversion of NP/WLS area is best of only option and is viable? - Yes
19. Any other information that you would bring to the notice of the state. - No



Rajesh Kumar Pandey
I.F.S.

Chief Conservator of Forest (wildlife)&
Field Director, Indravati Tiger Reserve
Jagdalpur, Chhattisgarh



Ganveer Dhammshil
I.F.S.

Director,
Kanger Valley National Park,
Jagdalpur, Chhattisgarh

आदेश द्वारा श्री पी.वी.नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (वन्यजीवन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन, छत्तीसगढ़
 नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला—रायपुर

ईमेल – cwlweg@gmail.com

Fax. 0771-2512880

//आदेश //

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-392/219

नवा रायपुर दिनांक ३० / १२/२०२२

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के पत्र क्रमांक व.प्रा./त.अधि./3598 दिनांक 28.12.2022 द्वारा प्रस्तुत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रारूप प्रबंधन योजना जो वर्ष 2020-21 से 2030-2031 हेतु निर्मित है, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के धारा 33 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लेते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन हेतु इस 10 वर्षीय प्रबंधन योजना में वर्षवार प्रस्तावित कार्य जो प्रतिवर्ष किया जायेगा। इस प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत ही किया जायेगा। जब भी कैम्पा आदि अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, वो भी इसी प्रबंधन योजना में दी गई प्रावधान अंतर्गत ही तैयार किया जायेगा।

कार्यानुसार प्रति वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा वित्तीय लक्ष्य सहित संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय, जगदलपुर के माध्यम से ए.पी.ओ. प्रस्तुत किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरीय, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा ए.पी.ओ. की स्वीकृति तथा आवश्यक बजट आवंटन पश्चात ही प्रबंधन कार्य किया जायेगा।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)

सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन

नवा रायपुर छत्तीसगढ़

नवा रायपुर दिनांक ३० / १२/२०२२

पृ.क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/4833

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) और क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) जगदलपुर वृत्त।
3. संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)

सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन

नवा रायपुर छत्तीसगढ़

GRC Post III 14



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-4014158, 4023123 email: ceochips@nic.in

क्रमांक 14/16/ समुकाआ/ चिप्स / 2023

रायपुर, दिनांक

03/10/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक,
इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)

विषय: Diversion of Forest Land for non-forest purpose under FCA, 1980 proposed for Bharat Net Phase-II Kanger Valley National park- Jagdalpur be provided at Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 blocks through Optical Fiber Cable laying of approximately 32.466 KM the laying of Optical Fiber Cable of 32.466 KM will involve 26 districts across the State area 1.005 ha. reg.

संदर्भ: 1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक / व.जी. / त.अधि. / 2022 जगदलपुर दिनांक 25/09/2023।

- 00 -

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार की महत्वकांकी परियोजना भारतनेट परियोजना फेस-2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से दूरसंचार सेवाओं से जोड़ने के लिए भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल विछाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, क्षेत्रांतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के अधिकार क्षेत्र (RoW) में ऑप्टिकल फाइबर केबल विछाया जाना है। चूंकि उक्त परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के मौजूदा RoW में ही विछाया जाना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है तथा मार्ग में किसी प्रकार का वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है। अतः उक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग के चयन की आवश्यकता नहीं है।

अतः निवेदन है कि उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में प्रथम चरण की अनुमति हेतु अग्रिम करने की कृपा करें, ताकि भारतनेट परियोजना फेस-2 को समय-सीमा के भीतर संपादित किया जा सके।

[Signature]
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(परियोजनारूप) चिप्स

क्रमांक १४६/ समुकाम / चिप्स / २०२३

रायपुर, दिनांक

०३/१०/२०२३

प्रतिलिपि:-

०१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
०२. अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध / व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
०३. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, चिप्स की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
०४. निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

७१
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(परियोजनाए) चिप्स

बिन्दु क. ②

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

ईमेल: cwlwca@gmail.com

(फोन: 0771-2512880, फैसल: 0771-2512881)

क्रगांक / व.प्रा. / प्रबंध-354 / २६९६

नवा रायपुर, दिनांक १६ / ०८ / २०२१

प्रति:

1. विशेष सहायक,
माननीय मंत्री
वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण
परिवहन तथा विभि एवं विधायी कार्य विभाग
रायपुर (छ.ग.)
3. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
माननीय संसदीय सचिव,
ई-२/४३ सेक्टर-17, नवा रायपुर अटल नगर
5. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
माननीय सदस्य विधानसभा
सी-२/२०, आनंद नगर, रायपुर
4. माननीय श्री देवब्रत सिंह,
माननीय सदस्य विधानसभा
134 विला, मारुति लाईफ स्टार्टअप,
मोहब्बा बाजार, कोटा रोड, रायपुर
5. प्रभुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अटल नगर, रायपुर
7. पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ रायपुर
8. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
9. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
10. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

11. ब्रिंगडियर
छत्तीसगढ़ एंड ओडिसा सब एरिया
नया रायपुर (छ.ग.)
12. संचालक,
पश्चि चिकित्सा विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
13. निदेशक,
मत्स्योद्योग विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
14. निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
पो.बा.-18, चंद्रबानी, देहरादून
248001 उत्तराखण्ड
Email: dwii@wii.gov.in
15. निदेशक
टीटनिकल सर्व ऑफ इंडिया,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, तृतीय एमएसओ विलिंग
ब्लॉक- एफ, 5 एवं 6 तल, डी.एफ. ब्लॉक
सेक्टर-1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता. 700064
16. निदेशक,
जूलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया,
प्राणी विज्ञान भवन, एम-ब्लॉक, न्यू अलीपुर,
कोलकाता 700053
17. डॉ. आर. पी. मिश्रा,
वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ-13, सेक्टर - 8, नोएडा
उत्तरप्रदेश - 201301
18. श्री सोमेन डे,
विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि (छ.ग./म.प्र.)
सतपुड़ा मैकल लैण्डरकैप, बाघ संरक्षण परियोजना,
WWF India, हाऊस नं. 30, दत्त टाऊन शीप,
तिलहरी, जबलपुर, 482020 (म.प्र.)
e-mail - deysoumen@gmail.com,
19. सुश्री मीतु गुप्ता
कंजरवेशन कोर सोसायटी,
बिलासपुर
20. डॉ. सुहास कुमार,
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश
21. श्री के.सी. बैबर्टा
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
प्लॉट नं. 33, ऑफिसर कॉलोनी, धरमपुर, रायपुर

22. श्री मोहित साहू,
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर
23. श्री अमलेन्दु मिश्रा,
पर्यावरणविद, अंधिकापुर
24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, बस्तर
25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार
26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर
27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिशा
28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)
29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही
विवरण प्रेषित करने वाबत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

—0—

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "छत्तीसगढ़
राज्य वन्यजीव बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त
बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

ललङ्घन :- कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नवा रायपुर

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध-354 / २८९७

नवा रायपुर, दिनांक १६ / ०८ / 2021

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल
नगर, नवा रायपुर,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ़,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी नवा रायपुर,

6. संचालक अचानकमार—अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, विलासपुर,
7. संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर,
8. संचालक, गुरुघारीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर,
9. उप निदेशक, इन्द्रावर्ती टायगर रिवर्ज बीजापुर/उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद/अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी/एलीफेंट रिजर्व सरगुजा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य बन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर



छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक

21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपरिथित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमत्रितों की सूची परिशिष्ट-एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, सपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदरमोहनों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहबास क्षेत्र विकास, पैदल व्यवस्था, नरका विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021-22 में लगभग 25.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य संग्रह छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की जिसका एजेण्डावार पिचरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा आयटम 12/1 :- बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन -

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :- भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल विछाने हेतु वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु रवीकृति-

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल विछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने वाले अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 है।
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.539 है। 8.965 है।
3. तमोर विग्ला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 है एवं राजस्व वन 0.39 है। कुल 1.462 है।

- ४. इंद्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 5.777 है, एवं राजस्व वन भूमि 0.103 है, कुल 5.880 है।
- ५. कांगेर धाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत वन क्षेत्र 1.005 है।
- ६. भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 3.579 है। कु. ३५६५ मि. १४८.९.२।

इन समस्त प्रकरणों में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम रवीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव — कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
समस्त मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) रायपुर, विलासपुर, जगदलपुर
तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं वन संरक्षक, एसीफेट रिजर्व संरक्षक (वन्यप्राणी)

एजेण्डा आयटम 12/3 :— भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धी अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केवल विछाने बाबत् :—

मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ सचार क्रांति योजना के तहत समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सड़क के समानान्तर रक्षा 1165 है, वनभूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम रवीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव :— कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (कीरी) दुर्ग एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर, एवं वनमंडलाधिकारी कदम्बी

एजेण्डा आयटम 12/4 :— वनक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जाना —

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 हाथियों को रेडियो कॉलर किये जाने का अनुमति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई थी। इन हाथियों में रेडियो कॉलरिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान नई दिल्ली से रेडियो कॉलरिंग हेतु अनुबंध किया गया था। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2019–20 तक 08 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग की गई थी जिसमें से 06 रेडियो कॉलर का समय पूर्ण हो गया है जिसे पुनः रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। शेष बच गये 04 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। इस प्रकार कुल 10 जंगली हाथियों में रेडियो कॉलरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान द्वारा किया जायेगा। रेडियो कॉलरिंग हेतु माह जनवरी 2021 में 01 वर्ष की समय वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है।

पारित प्रस्ताव — उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाथियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु बड़े जलस्रोत का निर्माण तथा भोजन हेतु हाथी विचरण क्षेत्रों में हाथी द्वारा खायी जाने वाली युक्तियुक्त प्रजातियों का रोपण सुनिश्चित किया

फॉर्म → ३

भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय क्षेत्रिय कार्यालय एन.एच. कैम्पस, पेंशन बाड़ी रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492 001		Telephone: 0771 - 2436637, Telefax: 0771- 2436637 Government of India Ministry of Road Transport & Highways Office of the Regional Officer, NH Campus, Pension Bada, Raipur, Chhattisgarh - 492 001
RO/CG/OFC/BharatNet/NH-30/2019-20/24/ 1274		Dated 10.03.2020

To,

The CEO (CHiPS),
 O/o CHiPS SDC Building, Civil Lines,
 Raipur Chhattisgarh.

Sub: Provisional NOC for laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63, in the State of Chhattisgarh - Reg.

Ref: (i) The JCEO(A), CHiPS, letter No. 389/ACEO/CHiPS/BharatNet/2020 dtd 10.02.2020.
 (ii) This office letter No. RO CG/OFC/BharatNet/NH-30/2019-20/24/1013 dated 14.01.2020.

Sir,

Please refer to your office letter under reference vide which intimation regarding License Fee and Bank Guarantee submission for Permission/NOC of laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63 has been provided to this office.

2. As per Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the proposal was uploaded on Ministry's website www.morth.nic.in for 30 days for public comments on ground of public interest. No comments have been received in this office within given time frame.

3. Hence, the permission for laying underground Optical Fiber Cable from Ch.106 to Ch.126, Ch.285 to Ch.290 of NH-30 & Ch. 294 to Ch. 317 of NH-63 is hereby accorded subject to the following conditions:-

- (i) The EE (NH), PWD, Jagdalpur shall ensure that all the conditions laid down in the relevant MoRT&H circulars as applicable in the matter have been fulfilled.
- (ii) The initial permission would be valid for a maximum 5 years at a time, which can thereafter be considered for renewal.
- (iii) It will be the responsibility of the applicant to rectify any damage which occurs at site to any other existing utility at its own cost.
- (iv) In case at any stage, if shifting of Optical Fiber Cable is required for a work related to NH-30 and 63, then the same shifting shall be done immediately by applicant at their own cost. The licensee shall shift the utility services within 90 days (or as



- specified by the respective Authority) from the date of issue of the notice by Highway Administration.
- (v) MORTH/Authority shall not be responsible for any damage caused to the Optical Fiber Cable at any time. Repair/rectification of such damage, if any, shall be carried out by the applicant at their own cost.
- (vi) Any crossing of Optical Fiber Cable or its operation at later stage, shall be done without causing any damage to the road, and if it occurs then applicant will be required to restore the road to its original condition at his own cost to the satisfaction of EE (NH), PWD, Jagdalpur.
- (vii) The applicant shall have to make all necessary arrangements for safety of Highway users and workers and also ensure that no hindrance is caused to Highway traffic by providing barricading, danger lighting and other necessary caution boards while executing the work.
- (viii) The applicant shall obtain the various safety clearances from the respective authorities as applicable, himself.
- (ix) No structures or inspection chamber will be constructed in NH land affecting future planning/usage of ROW.
- (x) The top of the casing/conduit pipe containing the utility services to cross the road shall be at least 1.20m below the top of the subgrade or the existing ground level whichever is lower, subject to being at least 0.30 m below the drain inverts.
- (xi) The Optical Fiber Cable shall be encased in the M.S. pipes or through structures or conduits specially built for that purpose at the expense of the applicant. Under no circumstances, existing drainage structures will be allowed to carry the OFC line across the NH.
- (xii) The applicant shall be responsible for traffic management during the execution of work.
- (xiii) The Optical Fiber Cable shall cross the NH preferably on a line normal to it or as nearly so as practicable. The casing/conduit pipe should, as minimum, extend from drain to drain in cuts and toe of the slope to toe of slope in the fills.
- (xiv) The casing/conduit pipe will strictly pass through the extreme edge of ROW.
- (xv) The necessary entry of the proposed permission shall be made by the EE (NH), PWD, Jagdalpur in the register of records of the permissions in the prescribed Performa.
- (xvi) All the norms stipulated in Ministry's Guidelines No. RW/NH-33023/29/2015/S&R(3) dated 22.11.2016 shall be strictly followed and safety of highway users shall not be compromised in any case.
- (xvii) The applicant shall apply for issuance of completion certificate after installing the utilities as per approved drawings. The utility services shall be made operational by

e by t.

the Licensee only after a completion certificate to the effect is issued by the Highway Administration.

4. Notwithstanding anything in the above paragraphs & under the following circumstances, the Provisional NOC issued deems to be cancelled:


- (i) If any document/information furnished by the applicant proves to be false or if the applicant is found to have willfully suppressed any information.
- (ii) Any breach of the condition imposed by the Highway Administration or the officer authorized by the Administration on his behalf.

5. This is being issued with the approval of the Highway Administration-cum-Regional Officer (MoRT&H), Raipur.

Yours faithfully,

Encl:


- (i) Signed copy of License Deed
- (ii) Layout plan duly countersigned by the Regional Officer


(Shreya Pipri)

Asstt. Executive Engineer
For Regional Officer

Copy to:

- (i) The Chief Engineer (NH), Public Works Department, Pension Bada, Raipur.
- (ii) The Executive Engineer (NH), PWD, NH Division, Jagdalpur .


(Shreya Pipri)

Asstt. Executive Engineer
For Regional Officer

बिन्दु क. ४

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

cwlwcc@gmail.com

(मो 0771-2512880, फै 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध-354 / २६९६

नवा रायपुर, दिनांक १६ / ०८ / २०२१

प्रति.

1. विशेष सहायक,
माननीय मंत्री
वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण,
परिवहन तथा विभि एवं विद्यार्थी कार्य विभाग
रायपुर (छ.ग.)
2. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
माननीय संसदीय सचिव,
ई-२/४३ सेक्टर-१७, नवा रायपुर अटल नगर
3. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
माननीय सदस्य विधानसभा
सी-२/२०, आनंद नगर, रायपुर
4. माननीय श्री देवब्रत सिंह,
माननीय सदस्य विधानसभा
१३४ विला, मारुति लाईफ रस्टाइल,
मोहब्बा बाजार, कोटा रोड, रायपुर
5. प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
मंत्रालय, महानंदी भवन, नवा रायपुर
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अटल नगर, रायपुर
7. पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ रायपुर
8. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय महानंदी भवन, नवा रायपुर
9. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, महानंदी भवन, नवा रायपुर
10. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

11. ब्रिगेडियर
छत्तीसगढ़ एंड ओडिसा सब एरिया
नया रायपुर (छ.ग.)
12. संचालक,
पश्चि चिकित्सा विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
13. निदेशक,
मत्स्योद्योग विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर
14. निदेशक,
भारतीय बन्यजीव संस्थान,
पो.बा.-18, चंद्रबानी, देहरादून
248001 उत्तराखण्ड
Email: dwii@wii.gov.in
15. निदेशक
टीटीनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय एमएसओ विल्डिंग
ब्लॉक- एफ, 5 एवं 6 तल, डी.एफ. ब्लॉक
सेक्टर-1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता 700064
16. निदेशक,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
प्राणी विज्ञान भवन, एम-ब्लॉक, न्यू अलीपुर,
कोलकाता 700053
17. डॉ. आर. पी. मिश्रा,
वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ-13, सेक्टर - 8, नोएडा
उत्तरप्रदेश - 201301
18. श्री सोमेन ढे,
विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि (छ.ग./म.प्र.)
सतपुड़ा मैकल लैण्डरकैप, बाघ संरक्षण परियोजना
WWF India, हाऊस नं. 30, दक्ष्त दाऊन शीप,
तिलहरी, जबलपुर, 482020 (म.प्र.)
e-mail - deysoumen@gmail.com,
19. सुश्री मीतु गुप्ता
कजरवेशन कार सोसायटी,
बिलासपुर
20. डॉ. सुहास कुमार,
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश
21. श्री के.सी. बेबर्ता
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
प्लॉट नं. 33, ऑफिसर कॉलोनी, धरमपुर, रायपुर

22. श्री मोहित साहू
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर
23. श्री अमलेन्दु मिश्रा
पर्यावरणविद, अधिकापुर
24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, वस्तर
25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार
26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर
27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिशा
28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)
29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही
विवरण प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

—0—

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में "छत्तीसगढ़
राज्य वन्यजीव बोर्ड" की 12वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त
बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचकार्थ प्रेषित है।

संलग्न :- कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नवा रायपुर

पृ. क्रमांक /व.प्रा./ प्रबंध-354/2897

नवा रायपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अठल
नगर, नवा रायपुर.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ़,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, नवा रायपुर.

6. संचालक अचानकमार—आमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर,
 7. संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर,
 8. संचालक, गुरुधासीदास राष्ट्रीय उद्यान, वैकुण्ठपुर,
 9. उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिवर्ज बीजापुर/उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद/अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी/एलीफेंट रिजर्व सरगुजा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य बन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक

21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश वधेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिणिष्ट-एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भावसे. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदर्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवरथा, नरवा निकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021-22 में लगभग 25.80 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा आयटम 12/1 :- बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन -

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :- भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल विछाने हेतु वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु रवीकृति-

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल विछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने वालत अनाप्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 है।
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 है, 8.965 है।
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 है एवं राजस्व वन 0.39 है। कुल 1.462 है।

अद्यतेः

छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च लक्ष्य विकास विभाग
मुख्यमंत्री कार्यालय, भुट्टो द्वारा

३८३/८०/१०/१२
१

४. इंद्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 5.777 है। एवं राजस्व वन भूमि 0.103 है। कुल 5.880 है।

५. कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत वन क्षेत्र 1.005 है।

६. भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 3.579 है। [३५६८] [२८.९.२१]

इन समस्त प्रकरणों में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम रवीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव — कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

[कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं वन संरक्षक, एसीफेंड रिजर्व संरक्षक]

एजेण्डा आयटम 12/3 : — भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत।

मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ सचार क्रांति योजना के तहत समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सङ्क के समानान्तर रकम 1.165 है। वनभूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम रवीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव :— कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की रवीकृति प्रदान की गई।

[कार्यवाही द्वारा — प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) दुर्ग एवं मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी) रायपुर, एवं वनमंडलाधिकारी क्षेत्री]

एजेण्डा आयटम 12/4 : — वनक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जाना।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 हाथियों को रेडियो कॉलर किये जाने का अनुमति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई थी। इन हाथियों में रेडियो कॉलरिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान नई दिल्ली से रेडियो कॉलरिंग हेतु अनुबंध किया गया था। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2019-20 तक 08 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग की गई थी जिसमें से 06 रेडियो कॉलर का समय पूर्ण हो गया है जिसे पुनः रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। शेष बच गये 04 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। इस प्रकार कुल 10 जंगली हाथियों में रेडियो कॉलरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान द्वारा किया जायेगा। रेडियो कॉलरिंग हेतु माह जनवरी 2021 में 01 वर्ष की समय वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है।

पारित प्रस्ताव — उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाथियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु बड़े जलस्रोत का निर्माण तथा भोजन हेतु हाथी विचरण क्षेत्रों में हाथी द्वारा खायी जाने वाली युक्तियुक्त प्रजातियों का सेपण सुनिश्चित किया जावेगा।

५



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक १२०/ मुकाम/ चिप्स/ 2023

रायपुर, दिनांक ०१/०९/२०२३

Undertaking

on behalf of the applicant organization “Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur (C.G.)” on other conditions of the guidelines dated 19.02.2018 of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Wildlife Division), New Delhi, in the context of BharatNet Project Phase-II :-

1.	The size of the trench will not exceed more than 2.0 m depth and 1.0 m width.	Agreed
2.	The user agency agrees to make good the land after use/maintenance.	Agreed
3.	The user agency agrees to make good any loss to forest / environment.	Agreed
4.	The user agency seeks permission from the State Forest Department for carrying out any maintenance.	Agreed
5.	The diameter of drinking water pipeline will not exceed 4 inches in diameter.	Agreed
6.	No civil structures will be built with the laying of drinking water pipeline and optical fiber cables.	Agreed
7.	The user agency will have to submit NOC from the agency which holds the right to use the right of way.	Agreed
8.	The State Government / Union Territories shall ensure that the length of the trench dug at a time does not exceed 500 m which shall be filled up and compacted before digging next stretch of 500 m.	Agreed
9.	The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work of on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the PAs after taking into account all the factors/issues involved in the work.	Agreed
10.	The user agency shall provide water supply points within the PAs if demanded by the Chief Wildlife Warden or in-charge of PA but not more than per sq.km.	Agreed
11.	This approval shall be valid for five years till 31.12.2023.	Agreed
12.	The State Government / Union Territories will submit a monthly progress report on the extent of the forestland diverted for such purposes to the Ministry as well as the concerned Regional Offices.	Agreed

The applicant organization “Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur (C.G.)” undertakes to accept the above mentioned conditions of the guidelines of MoEF&CC (WL Division).

(Ravindra Kumar Pateriya)

Joint CEO,

Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS)

Civil Lines, Raipur (C.G.)

